

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक-31.01.2019

संख्या :- 7/प्रोन्नति-202/2018 का. 880/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुरेश प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी (पी०बी०-II, पे० बैंड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे०- रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8), योजना-सह-वित्त विभाग (योजना एवं विकास प्रभाग), झारखण्ड, राँची को अवर सचिव कोटि (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-202/2018 का. 880 राँची, दिनांक-31.01.2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/प्रधान आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव का कोषांग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरण्डा, राँची तथा संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. प्रोन्नत पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-202/2018 का. 880/ राँची, दिनांक- 31.01.2019

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


31.1.19

सरकार के अवर सचिव।